>

Title: Need to provide compensation to farmers for loss of crops due to fire especially during summer.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति जी, आपने देश के किसानों से जुड़े हुए एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन और भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। गर्मियों के मौसम में बड़े पैमाने पर, खासकर उत्तर भारत में, अगलगी की घटनाएं होती हैं जिसमें किसानों का बड़ा भारी नुकसान होता है। उनके खलिहानों में आग़ लग जाती है। उनके फसल नष्ट हो जाते हैं, वे जल कर राख हो जाते हैं। मैं बिहार के औरंगाबाद जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं। इस वर्ष तो ऐसा हुआ है कि हमारे पूरे दक्षिण बिहार में सौ-सौ एकड़ में, पचास-पचास एकड़ में गेहूं की खड़ी फसल में आग़ लग गयी और वे जल कर राख हो गए। लेकिन, वर्तमान में भारत सरकार की तरफ से उनको राहत पहुंचाने का, उनको मुआवज़ा देने का कोई प्रबन्ध नहीं है। मैंने इस सदन में किसानों से जुड़े हुए इस सवाल को पहले भी उठाया है। पहले भी मैंने भारत सरकार से मांग की थी कि किसानों का इतना बड़ा नुकसान होता है, जिस किसान का खलिहान जल जाता है, वह कई वर्ष पीछे चला जाता है, इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि किसानों का इस तरह का नुकसान होता है, उनकी फसलों का नुकसान होता है, आगलगी की घटना में खलिहान जल जाते हैं, खड़ी फसल जल जाती है या और किसी तरह से नुकसान होता है तो उसका तुरन्त असैसमेंट कराया जाये और तत्काल राहत, तत्काल मुआवजा भारत सरकार अपनी तरफ से देने का प्रबन्ध करे। किसानों को उसका मुआवजा मिले, ताकि उनका जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई हो सके।

मैं भारत सरकार से यही मांग रखना चाहता हूं। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN :

Shri Jitendra Singh Bundela and

Shri Virendra Kumar are permitted to associate with the matter raised by Shri Sushil Kumar Singh.